राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1877/2025

पुनम चन्द जीनगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सहाडा, जिला भीलवाड़ा।
4. श्री हिमांशु सोलंकी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोवलिया, पंचायत समिति, सहाडा जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति सहाडा, जिला भीलवाडा।
5. शारदा पुर्बिया, सदस्य, जिला परिषद्, वार्ड नं. 10, भीलवाड़ा।
6. प्रेमलता कुमावत, सरपंच, ग्राम पंचायत उल्लाई, पंचायत समिति सहाडा, भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.02.2025
आदेश की दिनांक : 05.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत, उल्लाई पंचायत समिति सहाडा, भीलवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ग्राम पंचायत नान्दशा किया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक मामले में, जिसमें कर्मचारियों को उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान स्थानांतरित किया गया है, माननीय न्यायालय ने इस प्रकार के प्रकरण में निर्णय देते हुए ऐसे विवादित स्थानांतरण आदेशों के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के दिनांक 13.04.2023 के नियुक्ति आदेश की एक प्रति अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में यह माना था कि किसी भी व्यक्ति को समायोजित करने के लिए कोई स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। पूर्व में आदेश दिनांक 14.02.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पंचायत सालेरा से ग्राम पंचायत सरगांव में

स्थानांतरित किया गया था तथा आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पंचायत सरगांव से ग्राम पंचायत उल्लाई में स्थानांतरित किया गया था, जहां उसने कार्यभार ग्रहण किया। इस प्रकार दिनांक 22.02.2024 से अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत है। 11 माह की अल्पावधि में ही आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा उसे वर्तमान पदस्थापन स्थान से पुनः स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के अनुसार किसी कर्मचारी को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी विशेष स्थान पर तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी न कर ले। इसी आधार पर विभिन्न अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों में विभिन्न आदेशों के अनुसार माननीय अधिकरण द्वारा अल्पावधि के आधार पर स्थानांतरण/पदस्थापन पर रोक लगा दी गई है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–5 जिला परिषद सदस्य शारदा पुर्बिया के पत्र दिनांक 05.01.2025 (अनुलग्नक–6) एवं प्रत्यर्थी संख्या–6 सरपंच प्रेमलता कुमावत के पत्र दिनांक 10.01.2025 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपीलार्थी का राजनैतिक द्वेषता से स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी ने रिट याचिका संख्या 7763/2023 दायर करके माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष अपने एपीओ आदेश दिनांक 23.05.2023 को चुनौती दी थी और माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के एपीओ आदेश पर दिनांक 01.06.2023 (अनुलग्नक–8) द्वारा रोक लगा दी थी जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है जिसमें अगली तारीख 16.04.2025 है। मामले की अगली तारीख का स्क्रीनशॉट अनुलग्नक–9 पर उपलब्ध है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 289 के अनुसार जिला परिषद की जिला स्थापना समिति की अनुशंसा से ही जिला परिषद द्वारा एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण किया जा सकता है तथा पंचायत समिति के अन्दर कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा किये जा सकते हैं। वर्तमान मामले में पंचायत समिति सहाड़ा के विकास अधिकारी द्वारा जिला परिषद भीलवाड़ा की स्थापना समिति की अनुशंसा के बिना स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि ये स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता अथवा स्वयं के अनुरोध पर किए गए है, जो यात्रा भत्ता नियमो के नियम 17(1)(4) का उल्लंघन है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण ग्राम

पंचायत, उल्लाई से ग्राम पंचायत नान्दशा किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने के सम्बन्ध में **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हम यहा पाते हैं कि आलाच्य स्थानान्तरण आदेश पंचायत समिति सहाडा की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.01.2025 में पारित प्रस्ताव के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का पंचायत समिति सहाडा में ग्राम पंचायत उल्लाई से ग्राम पंचायत नान्दशा में स्थानान्तरण किया है, जो सक्षम स्तर से अनुमोदन/निर्णय उपरांत जारी किया गया है। अन्तर पंचायत समिति स्थानान्तरण नहीं होने से जिला परिषद की स्थायी समिति से अनुमोदन आवश्यक नहीं है। निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर नहीं किया है। उसे ग्राम पंचायत उल्लाई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अतः डॉ अजय कुमार शर्मा के प्रकरण से इस प्रकरण के तथ्य भिन्न हैं एवं निजी प्रत्यर्थी को समंजन नहीं करना पाया जाता है। अपीलार्थी यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि निजी प्रत्यर्थी–5 एवं 6 का पत्र प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के पास पंहुचा हो एवं इस आधार पर स्थानान्तरण किया गया हो। अतः राजनैतिक आधार पर स्थानान्तरण का तथ्य भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम स्तर से जारी किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि या दुर्भावना प्रकट नहीं होती है। अतः आलोच्य आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य